भा.कृ.अनु.प. –केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान
I.C.A.R. - Central Institute for Arid Horticulture
Sriganganagar Highway, Beechwal Indl. Area Post Office, Bikaner (Raj.)-334006

पत्रावली क्र.:07(ii)10/CS/MFP/2022-23/ 1275 दिनांक: 20.06.2023

स्पीड पोस्ट

Email:kuknamr@gmail.com

सेवामें

मैसर्स मुलाराम एण्ड कम्पनी,
दुकान नम्बर –5, पंचायत समिति,
जयपुर रोड़
बीकानेर–334001 (राजस्थान)।

विषयः–संस्थान की नर्सरी इकाई में अनुबंध पर कलिकायन के कार्य के सम्बध में।

संदर्भ :1. Your Quotation dated 24.05.2023.

2. Instutute letter No. 07(ii)10/CS/MFP/2022-23/1045 dated 02-06-2023.

3. आपका पत्र दिनांक 06.06.2023.

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि संस्थान के नर्सरी अनुभाग में खेजड़ी एवं बेर के मूलवृन्त पर कलिकायन का कार्य अनुबंध के आधार पर (on job contract basis) करने हेतु आपके द्वारा प्रस्तुत अनुबंध एवं परफोरमेंस सिक्यूरिटी को सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है संस्थान एवं आपकी फर्म के मध्य हुये अनुबंध की प्रतिलिपि आगामी कार्यवाही एवं सूचनार्थ संलग्न है। कृपया प्रभारी नर्सरी से सम्पर्क कर कार्य तुरन्त प्रभाव से प्रारम्भ करें। कोटेशन के साथ जमा बयाना राशि रु. 10000.00 का डी.डी. नंबर 021767 दिनांक 23.05.2023 मूल रुप में संलग्न कर वापिस लौटायी जा रही है।

भवदीय

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. डॉ. रामकेश मीणा, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रभारी नर्सरी, भाकृअनुप–के.शु.बा.सं., बीकानेर–मांगकर्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्रभारी भण्डार, भाकृअनुप–के.शु.बा.सं., बीकानेर।
3. सहायक प्रशासनिक अधिकारी, (बिल), भाकृअनुप–के.शु.बा.सं., बीकानेर।
4. प्रभारी सुरक्षा भाकृअनुप–के.शु.बा.सं., बीकानेर।
6. वित्त एवं लेखा अधिकारी, भाकृअनुप–के.शु.बा.सं., बीकानेर।
7. प्रभारी फार्म, भाकृअनुप–के.शु.बा.सं., बीकानेर।
8. सतर्कता अधिकारी, भाकृअनुप–के.शु.बा.सं., बीकानेर।
9. प्रभारी ए.के.एम.यू.–संस्थान वेब साईट पर रखने हेतु।
10. व्यैयक्तिक सहयक (निदेशक), भाकृअनुप–के.शु.बा.सं., बीकानेर। .

20/6/23

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN अनुबंध विलेख

BM 512930

यह अनुबंध 6/6/23 को मंगलवार दिन 2023 को सचिव, भारितीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली की ओर से निदेशक, भाकृअनुप-केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर (इसके बाद संस्थान कहलाएगा) तथा मैसर्स मुलारीराम एण्ड कम्पनी,दुकान नम्बर-5, पंचायत समिति,जयपुर रोड़, बीकानेर-334001 (राजस्थान) (इसके बाद जोब कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी कहलाएगी) के बीच किया गया। जबकि संस्थान ने अपने प्रक्षेत्र के नर्सरी अनुभाग में खेजड़ी एवं बेर के पौधो पर कलिकायन कार्य अनुबंध के आधार पर (On Job Contract basis) करने हेतु जोब कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी द्वारा प्रस्तुत निम्नांकित दर पर कार्य/सेवा-संविदा आधार (On Job contract basis), पर देने की इच्छा व्यक्त की है।

क्र.	कार्य का विवरण	समय अवधि (02 माह)	कार्य की कुल राशि (सभी कर सहित)
	संस्थान में खेजड़ी एवं बेर के क्रमशः 40000 व 8000 मूलवृन्त पर कलिकायन का कार्य एवं कलिकायन उपरान्त कलिका की कम से कम 4-6 पर्व संधि वृद्धि तक देखभाल करना।	Rs. 14.21 per Plant	682000.00
		Total Rs.	682000.00

10 MAY 2023

अतः संस्थान और जोब कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी दोनो के बीच निम्नलिखित सहमति हुई है:-

1. संस्थान की नर्सरी इकाई मे उपरोक्त पौधों में कलिकायन का कार्य के लिये कलिका एवं अन्य आवश्यक सामग्री पौधशाला इकाई द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी।
2. सभी सफल एवं असफल पौधे संस्थान के होंगे।
3. कलिका संग्रहण का कार्य नर्सरी इकाई के तकनीकी सहायक की देखरेख में किया जायेगा।
4. कलिकायन का कार्य समय पर ठीक से और सावधानी से किया जाना अनिवार्य है।
5. कलिकायन कार्य जून- जुलाई 2023 के दौरान पूरा किया जायेगा।
6. राजपत्रित रविवार अवकाश के अतिरिक्त सभी दिन सुबह 6:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक कलिकायन का कार्य कर सकता है।
7. कलिकायन कार्य पूरा होने के बाद सफल पौधों (4-6 पर्व संधि) की गणना के अनुसार ही फर्म को भुगतान किया जायेगा।
8. कलिकायन कार्य हेतु आवश्यक सभी औजार जैसे सिकेटियर, बडिंग नाईफ आदि की व्यवस्था अनुबंधित फर्म के ठेकेदार को करनी होगी एवं संस्थान इस बावत कोई व्यवस्था नही करेगा।
9. कार्य निर्धारित अवधि में पूरा न कर पाने की स्थिति में पेनल्टी अर्थ दण्ड के 10% of contract value अतिरिक्त भविष्य में संस्थान के किसी भी कार्य के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इस अनुबंध के संबंधित विवाद होने पर परिषद् द्वारा नियुक्त पंच को मामला भेजा जायेगा। पंच के निर्णय को मानने के लिये दोनो पक्षों बाध्य होंगे।
10. कलिकायन भुगतान कार्य पूर्ण होने पर तथा सफल पौधो की गणना एवं नर्सरी को सुपुर्द करना तथा प्रभारी नर्सरी के प्रमाणीकरण के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर 30 दिन के भीतर नियमानुसार कर दिया जायेगा। बिल पर आयकर विभाग से आवंटित पेन संख्या व GST No. अंकित किया जाना आवश्यक है। ई-भुगतान के लिये निम्नांकित विवरण अनिवार्य है:-

Certified that	
1	Banker name & full address
2	Bank Code
3	Computerized complete account number 6253002100005518
4	Telephone & Fax No. of the Banker
5	IFSC/RTGS/NEFT Code No. of the Bank PUNB0625300 Samta Nagar.
6	Signature & Seal of the Agency

ATTESTED

11. अनुबंध की अवधि मे स्वयं अनुबंधकर्ता व उनके कर्मचारियों के द्वारा संस्थान के अधिकारियों से शिष्ट व्यवहार करना होगा। कार्य के दौरान संस्थान की सम्पति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसकी वसुली ठेकेदार से की जावेगी।

Identify the Deponent/Executant who has Signed in my presence

वास्ते मुलाराम एण्ड कम्पनी
प्रोपराईटर

CENTRAL NOTARY
ADVOCATE
VIJAY KUMAR MEHTA
Regd. No. 1583
Exp. Date 05/03/2028
GOVT. OF INDIA

CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)
INDIA 06/06/2023

12. निविदादाता को भुगतान से संबंधित मैनपावर कानूनों का पूर्णतया पालन करना होगा। उनके द्वारा लगाये जाने वाले मैन पावर का भुगतान की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अनुबंधकर्ता की होगी। Minimum wages, as prescribed by the Government of India from time to time should be payable to the personnel deployed by the Contractor for service to the office. No request for alternative/increase in the total cost once quoted by the Contractor/Agency should be permitted by ICAR-CIAH during the course Contract and incase of increase of Wages by Govt. of India and the agency should by wholly responsible to make payment to deployed personnel from their own resources.
भुगतान से सम्बंधित कोई भी विवाद होने क्लेम प्रस्तुत करने पर न्यायालय द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान ठेकेदार द्वारा सम्बंधित को किया जावेगा।
13. कार्यावधि के दौरान यदि किसी कर्मिक के समक्ष किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटती है तो लेबर कॉन्ट्रेक्ट रेगुलेशन के अनुसार ठेकेदार/ऐजेन्सी ही जिम्मेदार होगी।
14. व्यवसाय कर GST सहित अन्य सभी करों इत्यादि के सम्बंधित विभाग को भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी एजेंसी की होगी एवं संस्थान अलग से कोई भुगतान नही करेगा।
15. वर्णित कार्य के अनुबंध पर यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे संस्थान के मुख्यालय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली द्वारा नियुक्त पंच को सुपुर्द कर दिया जावेगा। पंच के निर्णय को मानने के लिए दोनो पक्ष बाध्य होंगे।
16. निदेशक के.शु.बा.स. बिना कोई कारण बताए अनुबंध को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार होगा।

उपरोक्त कार्य सही एवं संलग्न शर्तो के अनुसार पूरा किया जायेगा।

आज निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में दोनों पार्टियों ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये।

जॉब कॉंट्रेक्ट एजेंसी की ओर से — सचिव, भा.कृ.अनु.परिषद की ओर
से हस्ताक्षर: [signature] 14/2/19

[illegible]
दुकान नम्बर--5, पंचायत समिति,जयपुर रोड, बीकानेर–334001

निदेशक/DIRECTOR
भाकृअनुप-केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान
ICAR-CENTRAL INSTITUTE FOR ARID HORTICULTURE
बीकानेर/BIKANER

साक्षी: 1.

2.

ATTESTED
CENTRAL NOTARY
BIKANER (Raj.)
INDIA
06/06/20[illegible]

CENTRAL NOTARY
Advocate
VIJAY KUMAR MEHTA
Regd. No. 1583
Exp. Date 06/03/2025
GOVT. OF INDIA

सहायक प्रशासनिक अधिकारी
ASSISTANT ADMINISTRATIVE OFFICER
भाकृअनुप-केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थ
ICAR-CENTRAL INSTITUTE FOR ARID HORTICULTI
बीकानेर/BIKANER

14/06/23
while in NRCC

प्रशासनिक अधिकारी
ADMINISTRATIVE OFFICER
भाकृअनुप-केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान
ICAR-CENTRAL INSTITUTE FOR ARID HORTICULTURE
बीकानेर/BIKANER